रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072021-228152
CG-DL-E-07072021-228152

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ़ 16, 1943
No. 382] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

आय-कर

सा.का.नि. 472(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 50 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2021 है ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 8कख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"8कग. धारा 50 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ और अवलिखित मूल्य की संगणना, जहां गुडविल पर अवक्षयण अभिप्राप्त किया गया है ।

(1) धारा 50 के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष हेतु आस्ति समूह और अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, यदि कोई हो, का अवलिखित मूल्य इन नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(2) जहां कारबार या वृत्ति की गुडविल ''अमूर्त'' आस्ति समूह में से केवल आस्ति थी या आस्तियों में से एक थी, जिसके लिए अवक्षयण 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में निर्धारिती द्वारा अभिप्राप्त किया गया था, 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष हेतु इस आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ग) के मद (ii) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(3) जहां 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष हेतु धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ग) के मद (ii) के उपमद (आ) के अधीन कमी, निम्नलिखित रकम के योग से अधिक होती है, अर्थात् :–

(i) धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ग) के मद (ii) के उपमद (आ) के अधीन कमी को प्रभावी किए बिना 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ पर आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य ; और

(ii) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित गुडविल से भिन्न ''अमूर्त'' आस्ति समूह के भीतर आने वाली किसी आस्ति की वास्तविक लागत, के ऐसे आधिक्य को अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा ।

(4) उपनियम (3) और धारा 55 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कारबार या वृत्ति की गुडविल ''अमूर्त'' आस्ति समूह की एकमात्र आस्ति थी, जिसके लिए अवक्षयण 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में निर्धारिती द्वारा अभिप्राप्त किया गया था और उस ब्लाक में 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त आस्ति अर्जित न होने के कारण आस्ति समूह अस्तित्वहीन हो जाता है, वहां आस्ति समूह के अस्तित्वहीन होने के कारण कोई पूंजी अभिलाभ या हानि नहीं होगी ।

(5) निर्धारण वर्ष 2021-22 या पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए सुसंगत पूर्ववर्षों के दौरान गुडविल के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ या हानि धारा 48, धारा 49 और धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 77/2021/फा. सं. 370142/23/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 470 (आ.), तारीख 02 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।